राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

सं०फा० 60/डीडीएमए/कोविड–19/2021/491 **दिनांक : 30.11. 2021**

आदेश

जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) संतुष्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कोविड–19 महामारी के प्रसार के कारण चिंतित है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहले ही वैश्विक महामारी के रूप में घोषित किया जा चुका है और इसके प्रसार को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाया जाना आवश्यक समझा गया है तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कोविड–19 की स्थिति से उचित रूप से निपटने तथा सभी अपेक्षित कदम उठाने के लिए सभी संबंधित प्राधिकारियों को समय–समय पर विभिन्न आदेश/निर्देश जारी किए गए हैं।

2. और जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दिनांक 08.08.2021 को आदेश संख्या 460 जारी किया है जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कोविड–19 के प्रभावी प्रबंधन हेतु ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (जीआरएपी) में निर्दिष्ट चेतावनी के स्तरों के अनुसार अनुमत/निषिद्ध/प्रतिबंधित गतिविधियां होंगी। उक्त जीआरएपी आदेश के खंड–14 में यह भी उपबंधित है कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कोविड–19 स्थिति के प्रबंधन के हित में समय–समय पर आंकलित स्थिति के अनुसार आवश्यकताओं के अनुरूप पूर्वोक्त योजना या अन्य किसी गतिविधियों के संबंध में आवश्यक संशोधन/आशोधन कर सकता है।

3. और जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दिनांक 15.11.2021 को आदेश संख्या 488 जारी किया जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रतिबंधित/निषिद्ध गतिविधियों के संबंध में दिनांक 15 नवम्बर, 2021तथा दिनांक 16 नवम्बर, 2021(00.00 घंटे) की मध्यरात्रि से 30 नवम्बर, 2021 तथा 1 दिसम्बर, 2021(00.00 घंटे) की मध्यरात्रि अथवा आगामी आदेशों जो भी इससे पहले हो तक प्रभावी रहेगा।

4. और जबकि आगे दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दिनांक 20.11.2021 को आदेश सं0 489 दिनांक 15.11.2021 के डीडीएमए आदेश सं0 488 में आंशिक अशोधन के संबंध में जारी किया जिसके द्वारा डीटीसी तथा कलस्टर बसों (बस की बैठक क्षमता के 50%) तथा दिल्ली मेट्रो में (एक कोच में 30 यात्रियों तक) यात्रा करने की अनुमति दी गई।

5. और जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कोविड–19 की पुनः समीक्षा की गई और यह देखा गया कि यद्यपि कोविड–19 के मरीजों की संपूर्ण संख्या तथा सकारात्मकता दर में अत्यधिक कमी आई है तथा समस्त स्थिति में सुधार हुआ है; परंतु, उचित सुरक्षा एवं सावधानी को जारी रखना होगा ताकि कोविड उपयुक्त व्यवहार के पर्याप्त मानकों का निरंतर अनुपालन किया जाए और ऐसी कोई भी गतिविधि जो मामलों में वृद्धि का कारण हो, उन्हें केवल अतिआवश्यक होने पर ही अनुमति दी जाए।

6. अब इसलिए, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अधिनियम, 2005 की धारा 22 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी, अध्यक्ष के रूप में, राज्य कार्यकारिणी समिति, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद् द्वारा निर्देशित करती है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में (नियंत्रण क्षेत्रों के बाहर) इस आदेश के साथ संलग्न अनुलग्नक (क) में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिबंधित/निषिद्ध गतिविधियां दिनांक 30 नवम्बर, 2021 तथा दिनांक 01 दिसम्बर, 2021 (00:00 घंटे) की मध्य–रात्रि से दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 तथा दिनांक 16 दिसम्बर, 2021 (00:00 घंटे) की मध्य–रात्रि या आगामी आदेशों, जो भी इससे पहले हो, तक प्रभावी रहेंगी।

7. सभी जिला मजिस्ट्रेट, जिला पुलिस उपायुक्त, नगर निगमों के उपायुक्त/नई दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली छावनी परिषद् के अधिकारी, दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड के उपाध्यक्ष तथा कृषि उपज बाजार समिति के सचिव तथा सभी अन्य संबंधित प्राधिकारी सभी दुकानों, मॉलों, बाजारों, बाजार काम्प्लेक्सों, साप्ताहिक बाजारों, रेस्तरां एवं बारो, मंडियों, अन्तर्राज्यीय बस अड्डो, रेलवे प्लेटफार्मों/स्टेशनों, मनोरंजन पार्कों, व्यायामशालाओं एवं योगा–संस्थानों, स्पा एवं वेलनेस क्लीनिको, सिनेमा/थियेटरों/मल्टीप्लेक्स ऑडिटोरियम/प्रार्थना सभाओं, बैंक्वेट हॉलों/विवाह–स्थलों, स्टेडियमों/खेल परिसरों, स्लम क्षेत्रों, स्कूलों, कॉलेजों, शैक्षणिक/कॉचिंग संस्थानों, पुस्तकालयों, प्रदर्शनियों, धार्मिक स्थलो इत्यादि साथ ही कोविड–19 वायरस के संचरण हेतु हॉटस्पोट्स के रूप में चिह्नित सभी क्षेत्रों में कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे– मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, नियमित रूप से हाथ–धोना और सैनिटाइजर का उपयोग, स्वास्थ्य स्वच्छता बनाए रखना, खुले में न थूकना इत्यादि को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे। यह सुनिश्चित किया जाए कि जो भी व्यक्ति इन स्थानों पर आएं, वे कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे– मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना इत्यादि का अनिवार्यतः सख्ती के साथ अनुसरण करें। यदि पूर्वोक्त कोविड उपयुक्त व्यवहार के मानदंडों का किसी भी प्रतिष्ठान/व्यावसायिक परिसर/साप्ताहिक बाजार/स्कूलों, कॉलेजों, शैक्षणिक/कॉचिंग संस्थानों, पुस्तकालयों, धार्मिक स्थलों इत्यादि द्वारा अनुपालन नहीं किया जाता है तो इस प्रकार के परिसर/साप्ताहिक बाजार कोविड–19 वायरस के प्रसार के लिए उत्तरदायी होंगे तथा बंद कर दिए जाएंगे एवं दोषियों के खिलाफ संबंधित कानूनों के अधीन आपराधिक अभियोग भी चलाया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट तथा समकक्ष जिला पुलिस उपायुक्त कोविड–19 मामलों में बढोत्तरी की किसी भी संभावना को रोकने के लिए कोविड उपयुक्त व्यवहार को लागू करने तथा अधिकतम निगरानी रखनें के लिए पर्याप्त संख्या में टीमों को तैनात करेंगे।

8. आगे यह भी निर्देशित किया जाता है कि बाजार व्यापार संघ (एमटीए), बैंक्वेट हॉल/विवाह स्थल संघ, सिनेमा/मल्टीप्लेक्स संघ, व्यायामशालाओं एवं योग संस्थान संघ, साप्ताहिक बाजार संघ, धार्मिक स्थल प्रबंध समिति, अन्य व्यापार संघ, प्रदर्शनी, आयोजक तथा आवासीय कल्याण संघ (आरडब्ल्यूए) भी सभी दुकानों, मॉलों, बाजारों, बाजार काम्पलैक्सों, कार्यालयों, साप्ताहिक बाजारों, रेस्तरां एवं बार, सिनेमा/थियेटर/मल्टीप्लेक्स, व्यायामशालाओं एवं योग–संस्थानों, स्पॉ एवं वेलनेस क्लीनिकों, बैंक्वेट हॉलों/विवाह–स्थलों प्रदर्शनियों, धार्मिक स्थलों तथा निवासी अपने–अपने क्षेत्रों के भीतर कोविड–19 उपयुक्त व्यवहार के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे। सभी जिला मजिस्ट्रेट, जिला पुलिस उपायुक्त और अन्य संबंधित प्राधिकारी दोषी पाए गए व्यक्तियों तथा इस प्रकार की प्रतिष्ठानों/व्यावसायिक परिसरों/साप्ताहिक बाजारों/प्रदर्शनियों/धार्मिक स्थलों/सिनेमा हॉलों/मल्टीप्लेक्सों इत्यादि के खोलने व बंद करने के निर्धारित समय का अनुपालन न करने वालों के खिलाफ लागू कानूनों एवं नियमों के अनुसार सख्ती से कार्रवाई करेंगे।

9. अपर मुख्य सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस आयुक्त, प्रधान सचिव (राजस्व), नगर निगम आयुक्तों, निदेशक (शिक्षा), निदेशक (उच्च शिक्षा), निदेशक (टीटीई), प्रधान सचिव (परिवहन), दिल्ली के सभी जिला मजिस्ट्रेट और उनके समकक्ष जिला पुलिस उपायुक्त तथा सभी अन्य संबंधित प्राधिकारियों को इस आदेश का सख्ती से अनुपालन तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 21.09.2021 के डी.ओ संख्या जेड 28015/85/2021–डीएम सेल के द्वारा यथा संप्रेषित, कोविड–19 हेतु रोकथाम उपायों के तत्काल तथा प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 28.09.2021 (पूर्व प्रसारित) आदेश जिसे गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 30.11.2021 के आदेशानुसार दिनांक 31.12.2021 तक विस्तारित किया गया के मौजूदा दिशा निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सभी अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 25.11.2021 (प्रति संलग्न) की परामर्शी के सख्ती से अनुपालन को सुनिश्चित करेंगे। संबंधित प्राधिकारी क्षेत्राधिकारियों को इन निर्देशों के सख्ती से अक्षरशः अनुपालन करने के लिए पर्याप्त रूप से सूचित एवं सचेत करेंगे।

10. यदि कोई व्यक्ति पूर्वोक्त निर्देशों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो दोषी व्यक्ति (व्यक्तियों) के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तथा अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

11. यह आदेश कोविड–19 वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने से संबंधित किसी कानून के अंतर्गत सशक्त किसी अन्य विभाग अथवा प्राधिकरण या संस्थान द्वारा लागू आगामी प्रतिबंधों/उपायों तथा किसी अन्य उदेश्य को प्रतिबंधित नहीं करेगा ।

हस्ता0/–

(विजय देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली

प्रतिलिपि अनुपालनार्थ :–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
2. अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्।
3. अपर मुख्य सचिव (स्वास्थ्य), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. पुलिस आयुक्त, दिल्ली।
5. प्रधान सचिव (राजस्व)–सह–मंडलीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. प्रधान सचिव(शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
7. प्रधान सचिव (परिवहन) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. आयुक्त (दक्षिणी दिल्ली नगर निगम/पूर्वी दिल्ली नगर निगम/उत्तरी दिल्ली नगर निगम)।
9. महा–निदेशक, डीएमआरसी ।
10. महा–निदेशक, दिल्ली परिवहन निगम ।
11. सचिव (आई एंड पी), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में व्यापक प्रचार हेतु।
12. सचिव (उच्च शिक्षा)/सचिव (टीटीई) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ।

13. निदेशक (शिक्षा) / निदेशक (उच्च शिक्षा) / निदेशक (टीटीई) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
14. उपाध्यक्ष, दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
15. सीईओ, दिल्ली छावनी बोर्ड।
16. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली।
17. समस्त जिला पुलिस उपायुक्त, दिल्ली।
18. निदेशक, डीजीएचएस, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. सचिव, माननीय उप–मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. सचिव, माननीय राजस्व मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. सचिव, माननीय सामान्य प्रशासन विकास मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
7. सचिव, माननीय समाज कल्याण मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. सचिव, माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
9. भारत सरकार कैबिनेट सचिव के स्टाफ अधिकारी।
10. भारत सरकार के गृह सचिव के स्टाफ अधिकारी।

11. अपर मुख्य सचिव (शहरी विकास), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
12. अपर सचिव (गृह) / कोविड–19 हेतु राज्य नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
13. राज्य कार्यकारिणी समिति, डीडीएमए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, के समस्त सदस्य।
14. सिस्टम अनेलिस्ट, मंडलीय आयुक्त, कार्यालय दिल्ली, दिल्ली सरकार की ddma.delhigovt.nic.in वेबसाइट पर आदेश अपलोड करने हेतु।
15. गार्ड फाइल